गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.03.2016 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.03.2016 को सायं 03:30 बजे प्रशासनिक भवन में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

01.	प्रो0 अंजिला गुप्ता, कुलपति	अध्यक्ष
02.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
03.	प्रो0 जे.एस. दांगी	सदस्य
04.	प्रो0 अनुपमा सक्सेना	सदस्य
05.	प्रो0 पी.के. दास	सदस्य
06.	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
07.	प्रो0 एम.के. सिंह	सदस्य
08.	डॉ0 रश्मि अग्रवाल	सदस्य
09.	डॉ0 एम.सी. राव	सदस्य
10.	डॉ0 राकेश पाण्डेय	सदस्य
11.	प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नांकित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं थे :-

01. प्रो0 व्ही.एस. राठौड़, अधिष्ठाता-अध्ययनशाला, कला
02. प्रो0 एल.पी. पटैरिया, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष-प्रबंध अध्ययन विभाग

बैठक के प्रारंभ में कुलपति जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् बैठक प्रारम्भ हुई।

विषय क0-01. **अध्ययन मण्डल (Board of Studies) में एक विषय संबंधित उद्योग से विशेषज्ञ (Expert) सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव।**

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि सभी विषयों के संबंधित अध्ययन मण्डल के गठन में संशोधन किया जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि संशोधन में इंडस्ट्री/कार्पोरेट/सभी सेक्टर को समावेशित किया जाय।

कार्यवाही- अकादमिक विभाग द्वारा की जायेगी।

विषय क0-02. **राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन पर कार्यक्रम की शुरूआत किये जाने के संबंध में विचार।**

विचारोपरान्त **यह निर्णय लिया गया कि** पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने हेतु शैक्षणिक तथा तकनीकी पदों हेतु प्रस्ताव प्रो0 व्ही.एस. राठौर, नोडल अधिकारी द्वारा तैयार कर सक्षम स्वीकृति उपरान्त विश्वविद्यालय अनुदान आयाग को प्रेषित किया जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि स्थापित किये जाने वाले विभाग की संरचना एवं स्थानीय आवश्यकताओं को भी इस प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से शामिल किया जाय तथा इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में कृत कार्यवाही एवं पत्राचारों को भी समाहित किया जाय।

कार्यवाही- विकास विभाग द्वारा की जायेगी।

विषय क0–03. **स्वच्छ भारत अभियान पर मुख्यमंत्रियों के उप–समूह द्वारा अनुशंसित कार्य योजना के कार्यान्वयन के संबंध में।**

विचारोपरान्त **निर्णय लिया गया कि** मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र के संलग्नक के भाग–2 में अंतर निहित बिन्दु क्रमांक–19 से 24 तक समस्त विभागाध्यक्षों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि एक वरिष्ठ शिक्षक को इस हेतु समन्वयक के रूप में नामित किया जाय, जो कि विकास विभाग के सहयोग से प्राप्त प्रस्तावों का आंकलन कर कार्य योजना की रूप–रेखा तैयार कर सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

यह भी निर्णय लिया गया कि वरिष्ठ शिक्षक नामित करने हेतु अध्यक्ष/कुलपति महोदया को अधिकृत किया जाय।

कार्यवाही– विकास विभाग द्वारा की जायेगी।

विषय क0–04. **यात्रा अनुदान (Travel Grant) के अंतर्गत विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शोधार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने के प्रकरणों में विभिन्न मदों के निर्धारण में दृष्टिगत् कठिनाईयों के निराकरण एवं समाधान बाबत्।**

गहन चर्चा उपरान्त यह **निर्णय लिया गया कि** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा 12वीं योजना अंतर्गत जनरल डेवलपमेंट असिस्टेंस ग्रांट की मार्गदर्शिका कंडिका–9, उपकंडिका–9.8 में वर्णित वित्तीय सहायता के मदों में पोस्टर प्रेजेंटेशन प्रावधानित है अथवा नहीं, के संबंध में दिशा निर्देश प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त पत्र में विश्वविद्यालय स्वयं के स्तर पर मार्गदर्शिका बना सकता है अथवा नहीं, इस आशय का भी दिशा निर्देश प्राप्त किया जाय।

कार्यवाही– विकास विभाग द्वारा की जायेगी।

विषय क0–05. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ''गाईडलाईन्स फॉर ऐम्पैनलमेंट ऑफ एडजेन्क्ट फैकल्टी इन यूनिवर्सिटीज एण्ड कॉलेजेस'' को अंगीकृत करने व अमल करने पर विचार करना।**

विचारोपरान्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ''गाईडलाईन्स फॉर ऐम्पैनलमेंट ऑफ एडजेन्क्ट फैकल्टी इन यूनिवर्सिटीज एण्ड कॉलेजेस'' को अंगीकृत किया गया।

कार्यवाही– प्रशासन विभाग द्वारा की जायेगी।

विषय क0–06. **प्रोविजनल सर्टिफिकेट एवं माइग्रेशन सर्टिफिकेट मुद्रण किये जाने हेतु कट शीट उपलब्ध कराये जाने विषयक।**

समिति ने परीक्षा विभाग द्वारा प्रोविजनल सर्टिफिकेट एवं माईग्रेशन सर्टिफिकेट मुद्रण किये जाने हेतु कट शीट उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा की।

यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित प्रारूप को आंशिक संशोधनों के साथ अनुमोदित किया जाय। कट शीट की मोटाई (GSM) वर्तमान में प्रचलित अंकसूची के समतुल्य होगी।

यह भी निर्णय लिया गया कि अस्थायी प्रमाण पत्र **हल्का गुलाबी** रंग का होगा।

कार्यवाही– परीक्षा विभाग द्वारा की जावेगी।

प्रो0 ए.एस. रणदिवे, अधिष्ठाता अध्ययनशाला एवं प्रभारी परीक्षा नियंत्रक द्वारा यह जानकारी दिये जाने आवश्यकता बताई गई कि विश्वविद्यालय में प्रचलित एवं लागू एकीकृत स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का उल्लेख प्रवेश की प्रक्रिया के अंतर्गत होता है जिसके अंतर्गत प्रदान की जाने वाली उपाधि का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्णय के अनुरूप प्रदाय की जाती है।

यह **निर्णय लिया गया कि** इस आशय की सूचना प्रभारी परीक्षा नियंत्रक को उपलब्ध करायी जाये।

कार्यवाही– अकादमिक विभाग द्वारा की जायेगी।

समिति के अनेक सदस्यों द्वारा ध्यान आकृष्ट किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर बनाये गये अथवा अंगीकृत अध्यादेशों के संबंध में, विशेषकर परीक्षा आयोजन से संबंधित प्रक्रियाओं के संबंध में, भ्रम उत्पन्न होता है। जिसके कारण उचित एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत स्पष्ट निर्णय लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है। यह भी ध्यान में लाया गया कि पूर्व में इस हेतु समितियों का गठन किया गया था, किन्तु स्पष्ट निर्णय उपलब्ध नही है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदया ने भी गहरी चिन्ता जताई।

यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में लागू/अंगीकृत अध्यादेशों में स्पष्टता लाये जाने हेतु एक पुनरीक्षण समिति का गठन किया जाय, जो कि पूर्व में सम्पन्न समस्त कार्यवाहियों/निर्णयों का पुनरीक्षण कर स्पष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, जिसे सक्षम निकाय के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

पुनरीक्षण समिति के गठन हेतु अध्यक्ष/कुलपति महोदया को अधिकृत किया गया।

कार्यवाही– अकादमिक विभाग द्वारा की जायेगी।

विषय क0-07. **विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 23.11.2015 के निर्णय अनुसार विश्वविद्यालय छात्र परिषद 2015 के गठन हेतु विभिन्न श्रेणी/गतिविधियों से चयनित 20 छात्रों का नामांकन अध्यक्ष विद्यापरिषद के अनुमोदन उपरान्त विश्वविद्यालय छात्र परिषद में किये जाने की सूचना ग्रहण करना।**

समिति ने सूचना ग्रहण की।

विषय क0-08. **प्री पीएच.डी. कोर्सवर्क पूरा करने के पश्चात् नौकरी लगने के संबंध में।**

इस प्रकरण पर चर्चा के दौरान प्रो0 ए.एस. रणदिवे, परीक्षा नियंत्रक अध्यक्ष की अनुमति से सूचना के अधिकार के अंतर्गत अपील प्रकरण की सुनवाई हेतु बैठक में अनुपस्थित रहे।

प्रस्ताव पर विचार किया गया।

निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय पीएच.डी. विनियम के अनुसार पूर्णकालीन शोधार्थियों को पीएच.डी. थिसिस जमा करने तक पूर्णकालीक शोधार्थी के रूप में रहना आवश्यक है। साथ ही पीएच.डी. में नामांकन होने के न्यूनतम 02 वर्ष के

बाद भी शोध ग्रंथ (पीएच.डी. थिसिस) जमा किया जा सकता है। अतः यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि पूर्णकालीक शोधार्थियों की न्यूनतम रेजिडेंसी आवश्यकता क्या होगी। समिति द्वारा सर्व सम्मती से यह अनुशंसा की गयी कि शोध विनियम में न्यूनतम 02 वर्ष की रेजिडेंसी अवधि स्पष्ट रूप से शामिल कर लिया जाय। उक्त के संदर्भ में ऐसे शोधार्थियों का पंजीयन जिन्होंने 02 वर्ष की रेजिडेंसी आवश्यकता पूर्ण नहीं की है, व जो नौकरी में चले गये हैं, उनके पंजीयन जारी नहीं रखे जा सकते, यदि वह पूर्ण कालीक रूप से उपस्थित नहीं रहते।

विषय क0-09. **बैचलर ऑफ साईंस इन फारेस्ट्री (Bachelor of Science in Forestry) के उपाधि प्रमाण पत्र प्रारूप के अनुमोदन पर विचार करना।**

चर्चा के दौरान माननीय सदस्य द्वारा (Bachelor of Science in Forestry) की उपाधि की अवधि के संबंध में किसी नियामक निकाय की अनुमति के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया गया। समिति ने इसे गंभीरता से लेते हुए यह महसूस किया कि इस विषय पर स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

यह निर्णय लिया गया कि संबंधित संकायाध्यक्ष के माध्यम से विभागाध्यक्ष 10 कार्य दिवसों के अंतर्गत इस विषय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

कार्यवाही- अकादमिक विभाग द्वारा की जावेगी।

विषय क0-10. **शैक्षणिक वर्ष 2014 एवं 2015 में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण योग्य विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र/ स्वर्ण मंडित पदक प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय का छठवां दीक्षांत समारोह के आयोजन की तिथि व मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथिगणों के नाम निर्धारित करने विषयक।**

विचारोपरान्त समस्त सदस्यों ने सर्वसम्मती से दीक्षांत समारोह के आयोजन हेतु तिथि के निर्धारण एवं मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों के नाम के निर्धारण हेतु माननीय अध्यक्ष/कुलपति को अधिकृत किया।

विषय क0- 11. **श्री खम्हनदास भास्कर (शोध छात्र वनस्पतिशास्त्र) के पी.एचडी. शोध पंजीयन संबंधी आवेदन पत्र दिनांक 31.08.2015 एवं 08.02.2016 के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण पर विचार।**

विषयांतर्गत श्री खम्हन दास भास्कर के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 31.08.2015 एवं 08.02.2016 का अवलोकन कर यह महसूस किया कि प्रकरण का गहन निरीक्षण आवश्यक है।

यह निर्णय लिया गया कि इस हेतु एक समिति का गठन किया जाय जो कि गठन की सूचना प्रसारित होने के 10 कार्य दिवसों के अंदर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी।

यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त समिति के गठन हेतु माननीय अध्यक्ष/कुलपति को अधिकृत किया जाय।

विषय क0- 12. **बी.टेक द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों के लिए CT-2 परीक्षा आयोजन की तिथि में संशोधन विषयक।**

बी.टेक द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों के लिए CT-2 परीक्षा आयोजन की तिथि में सेशोधन के फलस्वरूप अभियांत्रिकी संस्थान के अकादमिक कैलेण्डर 2015-16 में संशोधन हेतु अनुमोदन किया गया।

यह भी निर्णय लिया गया कि सत्र 2016-17 के अकादमिक कैलेण्डर का निर्माण करते समय यह सुनिश्चित किया जाय कि विश्वविद्यालय स्तर पर एक ही अकादमिक कैलेण्डर हो।

कार्यवाही- अकादमिक विभाग द्वारा की जावेगी।

विषय क0- 13. **शैक्षणिक सत्र 2016-17 के प्रवेश परीक्षा हेतु गठित दस्तावेज प्रारूपण समिति एवं तकनीकी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय पर विचार।**

शैक्षणिक सत्र 2016-17 के प्रवेश परीक्ष्ज्ञा हेतु निर्मित दस्तावेज तथा संबंधित समितियों की बैठक के कार्यवृत्त एवं अनुशंसाओं पर गहन विचार विमर्श किया गया। विचारोपरान्त सदस्यों ने यह महसूस किया कि मुख्य रूप से 03 बिन्दुओं पर स्पष्टता आवश्यक है जिसका निराकरण प्रवेश परीक्षा विज्ञापन जारी किये जाने के पूर्व आवश्यक है :-

01. विषयों/पाठ्यक्रमों का समूहीकरण
02. ऐच्छिक विषयों के चयन में अधिकतम छात्र संख्या का निर्धारण
03. विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में लैटरल इंट्री का प्रावधान नहीं होने के फलस्वरूप स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों की संख्या का निर्धारण।

यह निर्णय लिया गया कि उक्त 03 बिन्दुओं के निराकरण हेतु दिनांक 22.03.2016 को प्रातः 11 बजे समस्त विभागाध्यक्षों की आपात बैठक का आयोजित की जाय तथा इस बैठक की अनुशंसा स्वीकृत करने हेतु अध्यक्ष/कुलपति को अधिकृत किया जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त 03 बिन्दुओं को छोड़कर दस्तावेज प्रारूपण समिति एवं तकनीकी समिति की अनुशंसा एवं अन्य प्रारूप अनुमोदित किये जायें।

कार्यवाही- अकादमिक विभाग द्वारा की जायेगी।

विषय क0- 14. **सी.बी.सी.एस. पद्धती अनुसार टी.आर. एवं ग्रेड कार्ड के प्रारूप का अंतिम रूप दिये जाने के लिए दिनांक 05.02.2016 को आयोजित अधिष्ठाताओं की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुमोदन पर विचार करना।**

विचारोपरान्त यह **निर्णय लिया गया कि** सी.बी.सी.एस. पाठ्यक्रम हेतु ग्रेड कार्ड का प्रारूप, बी.ई., बी.टेक, हेतु टी.आर. प्रारूप तथा बी.टेक छोड़कर शेष समस्त ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें सी.बी.सी.एस. के अंतरिम अध्यादेश के प्रावधान लागू होते है, के लिए टी.आर. का प्रारूप अनुमोदन किया जाय।

विषय क0- 15. **परीक्षा कक्ष में जैमर लगाये जाने के संबंध में विचार करना।**

विचारोपरान्त यह **निर्णय लिया गया कि** वर्तमान परिस्थितियों में परीक्षा के दौरान जैमर लगाया जाना आवश्यक नहीं है।

यह भी निर्णय लिया गया कि समस्त परीक्षाओं के दौरान यह सुनिश्चित किया जाय कि परीक्षा कक्ष के अंदर विद्यार्थी तथा वीक्षक भी मोबाईल फोन न ले जायें। इसका अनुपालन मुख्य केन्द्राध्यक्ष एवं संबंधित केन्द्राध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे।

यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालयीन सेमेस्टर परीक्षाओं एवं प्रवेश परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्रों की संख्या के अनुरूप नकल निरोधक दस्ता भी बनाया जाय, जिसके गठन हेतु कुलपति अधिकृत होंगी।

कार्यवाही- परीक्षा विभाग द्वारा की जायेगी।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क0-01. **एन.सी.टी.ई. के प्रावधानों के अधीन शिक्षा विभाग एवं शारीरिक शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रमों की अवधि में परिवर्तन हेतु अध्यादेश में संशोधन पर विचार एवं अध्यादेश संशोधन प्रारूपण समिति गठन की पुष्टि।**

समिति ने उक्त विषयांतर्गत अध्यादेश संशोधन प्रारूपण समिति के गठन की पुष्टि की। यह भी संज्ञान में लिया गया कि शिक्षा विभाग द्वारा अध्यादेश संशोधन का प्रारूप अकादमिक शाखा में प्रेषित कर दिया है, किन्तु शारीरिक शिक्षा विभाग से प्रारूप अद्यतन अप्राप्त है।

निर्णय लिया गया कि अधिकतम 15 कार्य दिवसों के अंदर गठित समिति अध्यादेश संशोधन हेतु प्रस्ताव प्रारूप सहित सक्षम निकाय के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी।

कार्यवाही- अकादमिक विभाग द्वारा की जावेगी।

अ.अ.वि.क0-02. **छात्रकल्याण योजना के तहत गुरू घासीदास जयंती के अवसर पर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित समस्त परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक (प्रतिशत में) प्राप्तकर्ता को प्रदान किये जाने संबंधी प्रस्ताव।**

विषयांतर्गत चर्चा के दौरान परीक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत इस तथ्य का संज्ञान लिया गया कि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर गुरू घासीदास पदक (स्वर्ण मंडित) दिया जाना पूर्व से ही स्वीकृत है।

निर्णय लिया गया कि विषयांतर्गत प्रस्तावित पदक का नाम, पदक का आकार एवं वजन की विधिवत् प्रविधि तैयार करने हेतु एक समिति गठित की जाय। समिति की अनुशंसा सक्षम निकाय के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाय।

समिति के गठन हेतु कुलपति/अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

कार्यवाही- अधिष्ठाता छात्रकल्याण विभाग द्वारा की जावेगी।

अ.अ.वि.क0-03. **छात्र नलीन कुमार बी.टेक षष्ट्म सेमेस्टर के नकल प्रकरण में निर्णय के खिलाफ अपील के संबंध में विचार।**

समिति ने परीक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त अभिलेखों का राज्य विश्वविद्यालय के समय में लागू विनियम क्रमांक-11 के प्रावधानों के तहत अवलोकन किया। इस विनियम में नकल प्रकरण में निर्णय के खिलाफ पुनर्विचार/अपील के संबंध में किसी प्रकार का उल्लेख नही होना पाया गया।

निर्णय लिया गया कि चूंकि संबंधित विनियम में अपील का कोई प्रावधान नहीं है। अतः अपील विचार योग्य नहीं है।

यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तर पुस्तिका में अतिरिक्त पन्ने जोडा जाना, जिसके फलस्वरूप अनुचित साधन प्रकरण दर्ज हुआ, एक गंभीर प्रक्रियागत त्रुटि है, जिसकी जांच किया जाना आवश्यक है। ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो सके।

यह भी निर्णय लिया गया कि जांच समिति के गठन हेतु अध्यक्ष/कुलपति को अधिकृत किया जाय।

अध्यक्ष एव उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक सम्पन्न हुई।

30.3.16

कुलपति/अध्यक्ष

30/3/16

कुलसचिव (कार्यवाहक)